रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1698] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2016/आषाढ़ 17, 1938
No. 1698] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2016/ASADHA 17, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(यूनेस्को यूनिट)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2016

का.आ. 2332(अ.).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित अधिकारी को, भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समकक्ष अधिकारी होते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट लोक स्थानों के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	लोक स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
सचिव, एरोविले फाउंडेशन, एरोविले, तमिलनाडु-605101	एरोविले फाउंडेशन, एरोविले, तमिलनाडु-605101 से संबंधित या उसके द्वारा पटटे पर लिए गए या उसके द्वारा या की ओर से अधिगृहीत स्थान ।

[फा. सं. 27- 12/2015 यूयू]

राकेश रंजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

(UNESCO Unit)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2016

S.O. 2332(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises [Eviction of Unauthorized Occupants] Act, 1971 [40 of 1971], the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of the Government of India to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

Designation of Officer	Categories of public premises and local limits of Jurisdiction
(1)	(2)
Secretary, Auroville Foundation, Auroville, Tamil Nadu-605101	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Auroville Foundation, Auroville, Tamil Nadu-605101.

[F. No. 27-12/2015-UU]

RAKESH RANJAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.